NATIONAL PUBLIC SERVICE TRUST
(Public Welfare • Justice • Development)
(A Social Institution Established under Central Act No. 2 of 1882)
Establishment No. – 212/IV/2026
Office : 670, Model Colony, Ranipur Mod, Haridwar (Uttarakhand) 249407
Email : npst.india@gmail.com

पत्रांक सं० – NPST/129/2026 दिनांक – 28.10.2026

सेवा में,

1. **श्रीमान जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार**
   ईमेल – dm-har-ua@nic.in
2. **श्रीमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी,**
   उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून
   ईमेल – ceouk@wakf.gov.in

विषय – दरगाह पिरान कलियर में वित्तीय कुप्रबंधन एवं वर्षों से लंबित ठेका धनराशि वसूली के संबंध में विगत 15 वर्षों का स्वतंत्र व्यापक ऑडिट, स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति तथा संलिप्त पाये जाने वाले समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सार्वजनिक हितों के संरक्षण हेतु कार्यरत संस्थान है। रूडकी क्षेत्रान्तर्गत कलियर स्थित दरगाह पिरान कलियर से संबंधित प्राप्त अभिलेख जनता की आस्था से प्राप्त धनराशि के प्रबंधन एवं वर्षों से लंबित ठेका धनराशि वसूली की अत्यन्त चिंताजनक स्थिति उजागर करते हैं, जिसमें तत्काल उच्चस्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक है। संस्था के पास उपलब्ध अभिलेखों में दरगाह के खातों में लगभग ₹62 करोड की धनराशि दर्शायी गयी है। वहीं, वर्ष 2009–10 से 2016–17 के विभिन्न ठेकों की सूची में ₹5,54,26,028 का कुल बकाया अंकित है तथा वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के बकायेदार इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध हैं। ठेकों का आवंटन होने के बावजूद दरगाह की देय धनराशि समय पर दरगाह को प्राप्त न होना वित्तीय अनुशासन एवं निगरानी व्यवस्था की गंभीर विफलता है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014–15 के एक ठेके की ₹34,50,000 लंबित धनराशि के लिए लगभग 10 वर्ष बाद, दिनांक 26/04/2025 को दरगाह प्रबंधन द्वारा संबंधित ठेकेदार को बकाया–वसूली का नोटिस जारी करना पड़ा। उपलब्ध अभिलेखों में इसके बाद पूर्ण वसूली की स्पष्ट पुष्टि नहीं है। यदि यह राशि आज भी लंबित है, तो इतने वर्षों तक प्रबंधन और निगरानी के लिए उत्तरदायी अधिकारी क्या करते रहे? दरगाह की धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने में किस स्तर पर चूक हुई और उससे हुई क्षति का उत्तरदायित्व किसका है? इसी प्रकार वर्ष 2015–16 के जूता–रखाई ठेके की ₹3,00,000 मूल धनराशि एवं ₹30,000

संग्रह व्यय का वसूली प्रमाणपत्र उपलब्ध है। केवल नोटिस अथवा वसूली प्रमाणपत्र जारी करना वास्तविक वसूली नहीं है। वर्षों तक देय राशि लंबित रहने पर कागजी पत्राचार दिखाकर जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। यह स्थिति प्रथमदृष्टया जनता की धनराशि, दान, आस्था एवं सार्वजनिक विश्वास के संरक्षण में गंभीर कुप्रबंधन की ओर संकेत करती है। दरगाह में अर्पित धन जनता की अमानत है। इसके बावजूद दरगाह परिसर में स्वच्छता, पर्याप्त एवं साफ शौचालय, सुरक्षित पेयजल, जलनिकासी तथा जायरीनों की मूलभूत सुविधाओं की गंभीर कमी हैं। करोड़ों रुपये खातों में हों, करोड़ों की देय राशि वर्षों तक अटकी रहे और जायरीन आवश्यक सुविधाओं के लिए परेशान हों – तो प्रबंधन की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जाँच और जवाबदेही तय करना अनिवार्य है।

अतः वक्फ अधिनियम, 1995, यथा संशोधित, की धारा 47(1)(c) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, वक्फ बोर्ड को सूचित कर, राज्य सरकार द्वारा नामित स्वतंत्र एवं सक्षम अधिकारी अथवा राज्य स्थानीय निधि परीक्षक के माध्यम से दरगाह पिरान कलियर के तत्काल पूर्ववर्ती 15 वर्षों का स्वतंत्र, व्यापक एवं गहन विशेष ऑडिट कराया जाए एवं यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ऑडिट मे शामिल लेखापरीक्षकों का संबंधित प्रबंधन, ठेकेदारों अथवा पूर्व ऑडिटरों से कोई हित–संबंध न हो। इसमें दान, चढ़ावा, गुल्लक संग्रह, ठेका एवं किराया आय, बैंक खाते, सावधि जमा, ब्याज, निविदाएँ, प्रतिभूतियाँ, निर्माण, खरीद एवं समस्त भुगतान का मूल अभिलेखों और वास्तविक कार्यों से भी सत्यापन हो। उक्त अवधि में आगे लाये गये पुराने बकायों एवं पूर्व ऑडिट आपत्तियों को भी जाँच में सम्मिलित किया जाए तथा जाँच केवल ठेकेदारों तक सीमित न रखी जाए एवं संबंधित अवधि में पदस्थ प्रबंधकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका, निर्णय, निष्क्रियता और संभावित मिलीभगत की जाँच की जाए। यह भी निर्धारित हो कि प्रतिभूतियों एवं अनुबंध की शर्तों का उपयोग क्यों नहीं हुआ, बकायेदारों को पुनः ठेके मिले या नहीं और विलंब से कितनी वित्तीय अथवा ब्याज–हानि हुई।

जाँच में अनियमितता, लापरवाही, मिलीभगत, धन के दुरुपयोग अथवा अनुचित लाभ पहुँचाने में संलिप्त पाये जाने वाले प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार एवं अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उसकी भूमिका के अनुसार समुचित विभागीय, प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की जाए। जहाँ आपराधिक कृत्य के तथ्य सामने आएँ, वहाँ सक्षम जाँच एजेंसी को प्रकरण सौंपकर आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जाए तथा उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार क्षति की वसूली सुनिश्चित की जाए। किसी भी व्यक्ति को उसके पद अथवा प्रभाव के कारण संरक्षण न दिया जाए। साथ ही, सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से स्वतंत्र एवं जवाबदेह प्रशासक नियुक्त किया जाए, समस्त अभिलेख एवं डिजिटल डाटा सुरक्षित कराये जाएँ तथा बकाया–वसूली और जनसुविधाओं के सुधार की समयबद्ध कार्ययोजना लागू की जाए। ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर की गयी कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाए। जनता की आस्था से प्राप्त अमानत की उपेक्षा को सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए संस्था को भी अवगत कराया जाए।

भवदीय,

कृष्णकान्त

(अध्यक्ष)

<u>संलग्नक</u> :– उपरोक्तानुसार (148 पृष्ठ)